

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-उपयोग का विवरण, इच्छुक आवेदक को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

1. आवेदक द्वारा प्राधिकरण में अपना आवेदन वांछित गाटा नम्बरों के प्रभावित सजरा व खतौनी प्रस्तुत किया जाता है।
2. संदर्भित गाटा नम्बरों के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में (सम्बन्धित बैंक) जमा कराया जाता है।
3. निर्धारित शुल्क आवेदक द्वारा अदा करने के उपरान्त भू-उपयोग की सूचना पत्र उसी दिन अथवा दूसरे दिन आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाता है।